manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Central Committee of the Tuberculosis Association of India."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The questions is:

"That in pursuance of clause 3(vii) (a) of the Rules and Regulations of the Tuberculosis Association of India, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Central Committee of the Tuberculosis Association of India."

The motion was adopted.

---

13 hrs.

MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958."

The motion was adopted.

SHRI CHAND RAM: I introduce the Bill.

13.01 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED STORAGE DIFFICULTIES OF POTATO GROWERS OF FARUKHABAD DISTRICT OF UTTAR PRADESH

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (कन्नौज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के उन जिलों के किसानों की दुखभरी आवाज यहां प्रस्तुत कर रहा हूं और विशेषकर फारुखाबाद जिले के किसानों की, जहां सम्पूर्ण एशिया में सब से अधिक आलू का उत्पादन होता है। फारुखाबाद, इटावा, कानपुर, मैनपुरी और उस के आसपास के जिलों में इस वर्ष आलू की उपज बहुत अधिक हुई है। यह अधिक उत्पादन वहां के किसानों के लिए अभिशाप हो गया है। तीन तरह से किसान इस समय मारा जा रहा है। पहले तो आलू को भयंकर तूफान और वर्षा से नुकसान पहुंचा है। दूसरे रेलवे के वैगन न मिलने के कारण आलू वहां पर बहुत सस्ता हो गया है और तीसरे जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं, उन्होंने एक षडयन्त्र कर रखा है। वे अपना आलू सस्ते दामों पर खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं और किसानों का आलू हजारों और लाखों क्वींटल की संख्या में रोड पर धूप में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। इसलिए इस ओर मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान बड़ी गम्भीरता के साथ आकृष्ट कर रहा हूं। दुर्भाग्य यह है कि नियम 377 के अन्तर्गत जो मामला हम उठाते हैं, उस को न तो कोई मंत्री सुनता है और न उस का जवाब देता है। मैंने इस विषय पर काल एटेंशन के नोटिस भी दिये लेकिन वे आते नहीं। उपाध्यक्ष जी, जब तक इस विषय पर चर्चा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। किसान मर रहे हैं और यहां पर न कोई मंत्री सुनने वाला है और न जवाब देने वाला है। मेरा कहना यह है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। . . (व्यवधान) . .

---

*Published in Gazette of India Extraordinary Part, II section 2. dated 22nd March 1979.